संख्या–211 /अड़तीस–7–2014–324 नरेगा/2012

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन/कृषि/सिंचाई/रेशम/भूमि विकास एवं जल संसाधन,
लघु सिंचाई/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मत्स्य/पंचायती राज,
लोक निर्माण विभाग।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2014

विषयः महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत सोशल आडिट हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप अवगत होंगे कि मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की सोशल आडिट कराये जाने की व्यवस्था भारत सरकार के विभिन्न आदेशों एवं अधिनियम में पहले से ही प्रदत्त है। कार्यों का सोशल आडिट टीमों के माध्यम से कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा समय से अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, किन्तु ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट के दौरान यह पाया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण सोशल आडिट की प्रक्रिया या तो अवरुद्ध हो गयी अथवा अपूर्ण रही।

2. अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया मनरेगा कार्यों के सोशल आडिट के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को अभिलेखों की प्रतियां सोशल आडिट टीमों को समय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि सोशल आडिट का कार्य ससमय पूर्ण किया जाना संभव हो सके।

भवदीय

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या – 211(1)/अड़तीस–7–14 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी संबंधित को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।